37

17

न्यायालय सम आदरणीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प उज्जैन.

प्रकरण कमॉक– /निगरानी/2017

PBR/निगरानी/आगरमालवा/भू.रा/2017/4436

रामकिशन पिता बद्रीलाल मृत वारिसान

1. कृष्णाबाई विधवा रामकिशन
2. वासुदेव पिता रामकिशन
3. संजय पिता रामकिशन

समस्त निवासीगण ग्राम नलखेडा, जिला आगर मालवा (म.प्र.)............ आवेदकगण

विरूद्ध

गोपालदास उर्फ भगवानदास पिता नंदलाल महाजन, निवासी हनुमान मंदिर ग्राम नलखेडा, जिला आगर मालवा (म.प्र.)

.... अनावेदक

श्री ... जोशी 23 ... उज्जैन ... प्रस्तुत 25-10-17

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील नलखेडा, जिला आगर (म.प.) प्रकरण कमॉक– 8/ब–121/21016–17 में पारित आदेश दिनॉक 27.9.2017 से असंतुष्ट एवं दु:खीत होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं।

24/11/17

मान्नीय महोद

प्राथी आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखीत प्रस्तुत हैं–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, कस्बा नलखेडा कृषि भूमि सर्वे नं. मीन 263/3 रकबा 0.002 मीन 285/1 रकबा 0.196 मीन 287/3 रकबा 0.142 मीन 293/2 रकबा 0.036 मीन 294 रकबा 0.105 मीन 297 रकबा 0.063 मीन 298 रकबा 0.136 कुल किता 7 कुल रकबा 0.680 हैक्टर होकर उक्त खाता संयुक्त नाम रामकिशन, पुरूषोत्तम, विठ्ठलदास, वल्लभदास भाग तीस पैसे सुन्दर बाई विधवा रामेश्वर भाग 29 पैसे राजेश कुमार एवं नितीश कुमार पिता प्रेमचंद जाति जैन, संजय पिता रमेशचन्द्र 21 पैसे, चिरोंजीलाल, कन्हैयालाल जैन खाता 0.26 आरे, नंदलाल भाग 24 पैसे, गोकुलदास भाग 17 पैसे पुत्रगण बद्रीलाल जाति महाजन। उक्त खाते में से रामकृष्ण पिता बद्रीलाल जाति महाजन ने अपने कब्जे के मान से बॅटवारा करने हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय के न्यायालय में राजस्व प्रकरण कमॉक 8/अ–27/2001–02 पेश किया जिसके आदेश दिनॉक 4.6.2002 से कब्जे के मान से रामकृष्ण पिता बद्रीलाल जाति महाजन को सर्वे नं. 294 रकबा 0.105, 297 रकबा ... रकबा 0.136 कुल किता 3 कुल रकबा 0.304 आरे बॅटवारे में प्राप्त हुआ

कृष्णाबाई / गोपाल दास
उप अभिभाषक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR/R/आगर मालवा/भू.रा./2017/4436 जिला - आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-7-17	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार नलखेड़ा के प्रकरण क्रमांक 8/अ-121/16-17 में पारित आदेश दिनांक 29.7.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर आगर मालवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	